

क्रमा संख्या	दिनांक आज्ञा या प्राप्ति	विवरण
		दिनांक 16/12/24 को पेश हो।
	16/12/24	पतावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पतावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/12/24 को पेश हो।
	23/12/24	पतावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पतावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/12/24 को पेश हो।
	26/12/24	पतावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पतावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/12/24 को पेश हो।
	30/12/24	पतावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 31/12/24 को पेश हो।
	31/12/24 2/1/25	पतावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश व नियम 13 स्पष्टित धारा 15 सीपीसी नियाद बाहर होने के साथ-साथ धारा 10 सीपीसी से बाधित होने के कारण खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में दस्तगत प्रार्थना पत्र बावत अस्थायी निषेधाज्ञा / स्थगन स्वतः ही उद्भावशून्य, सारहीन व औचित्यहीन हो चुका है। अतएव उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पतावली फंसल शुमार होकर बाह तंकील दखिल दफ्तर होकर

1/5
 दिनांक
 पत्र




फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय : सहायक कलेक्टर, बस्सी

स्व चाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

म ज्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">सहायक कलेक्टर बस्सी जिला - जयपुर ग्रामीण</p>